दिनाक 04.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–04 / 21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर / थाना कोतवाली नगर

- **अपहरण की घटना का अनावरण**
- **07 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **अपहृत सकुशल बरामद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस,**
- **01 चाकू ,**
- **घटना में प्रयुक्त बोलेनो कार बरामद**

दिनांक 04.02.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इन्दिरा कालोनी में स्थित इकबाल के मकान की घेराबन्दी कर कार्यवाही के दौरान अपहृत की सकुशल बरामदगी करते हुये अपहरण की घटना में संलिप्त 02 महिलाओं से 07 अभियुक्तों 1–कालू 2–राजकुमार उर्फ बब्लू 3–देवेन्द्र उर्फ छोटल्ला 4–इकबाल 5–भारत 6–कोमल पत्नी राजकुमार 7– अन्नू पत्नी कालू को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 चाकू एवं घटना में प्रयुक्त बोलेनो वाहन बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 01.02.2021 को वादी द्वारा अपहरण के सम्बन्ध में सूचना दी गयी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अपहृत के सकुशल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। अपहरणकर्ता राजकुमार उर्फ बब्लू जो कि अपहृत (युवक) का पड़ोसी है, जिसके द्वारा अपहरण की योजना बनायी गयी थी तथा वह शुभ चिन्तक बनाकर लगातार इनके परिवार के साथ चल रहा था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त अपहरण की घटना कारित की थी। पुलिस टीम द्वारा पूछतॉछ व सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से 40 घंटे के अन्दर घटना का अनावरण करते हुये अपहृत की सकुशल बरामदगी की गयी।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–कालू निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2–राजकुमार उर्फ बब्लू निवासी अमर माया कालोनी चॉदपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3–देवेन्द्र उर्फ छोटल्ला निवासी औरंगपुर गढिया थाना जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

4–इकबाल निवासी इन्दिरा कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ।

5–भारत निवासी अमर माया कालोनी चॉदपुर रोड बम्बा थाना कोतवालीनगर जनपद बुलन्दशहर।

6–कोमल पत्नी राजकुमार निवासी अमर माया कालोनी चॉदपुर रोड बम्बा थाना कोतवालीनगर जनपद बुलन्दशहर।

7– अन्नू पत्नी कालू निवासी नैथला थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगीः

1–02 अवैध तमंचे 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 चाकू,

2–घटना में प्रयुक्त बोलेनो वाहन।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली

- **04 शातिर लूटेरे गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूट के 06 मोबाइल फोन,**
- **21 हजार रूपये नगद,**
- **26 मेमोरी कार्ड, पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड,**
- **02 अवैध तमंचे 315 बोर, 03 जीवित कारतूस,**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.02.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुर्मीनखेड़ा के पास से 04 अभियुक्तों 1–रवि 2–दीपक 3–मोनू 4–अंकित को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के

06 मोबाइल फोन, 21 हजार रूपये नगद, 26 मेमोरी कार्ड, पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 26.01.2021 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0—105/2021 धारा 392/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन व नगद रूपये आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः—</u>

1—रवि निवासी सिकन्दरपुर थाना कोतवाली जनपद उन्नाव।

2—दीपक निवासी करीमाबाद थाना माखी जनपद उन्नाव।

3—मोनू निवासी सिकन्दरपुर थाना कोतवाली जनपद उन्नाव।

4— अंकित निवासी सिकन्दरपुर थाना कोतवाली जनपद उन्नाव।

<u>बरामदगीः—</u>

1—लूट के 06 मोबाइल फोन,

2—21 हजार रूपये नगद,

3—26 मेमोरी कार्ड, पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड

4— 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 03 जीवित कारतूस,

5—चोरी की 01 मोटर साइकिल

जनपद हरदोई/थाना टडियावॉ

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर चोर गिरफ्तार,**
- **चोरी के लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चॉदी के आभूषण,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.02.2021 को थाना टडियावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकरोहरी पुल के पास सीतापुर रोड पर पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्तों 1–हरिद्वारी 2–गंगा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चॉदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद हरदोई, सीतापुर, शाहजहॉपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद हरदोई व सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया।

इस सम्बन्ध में थाना टडियावॉ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–हरिद्वारी निवासी मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

2–गंगा निवासी मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगीः–

1–चोरी के लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चॉदी के आभूषण,

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद कानपुर नगर /थाना गोविन्दनगर

• 05 अभियुक्त गिरफ्तार,

• लगभग 07 लाख रूपये कीमत के धोखाधडी़ के विभिन्न कम्पनियों के 208 घरेलू उपकरण,

• विभिन्न कम्पनियों के 07 एक्टिवेटेड सिम,

• 01 कार बरामद

दिनांक 04.02.2021 को थाना गोविन्दनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना गोविन्दनगर क्षेत्र से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी कर लगभग 07 लाख रूपये कीमत के धोखाधड़ी के विभिन्न कम्पनियों के 208 घरेलू उपकरण, विभिन्न कम्पनियों के 07 एक्टिवेटेड सिम, 01 कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि Amazon कम्पनी के आन लाइन सामान को डिलेवरी ब्याय व कम्पनी के कर्मचारियों की मिली भगत से मॅगाकर असली सामान के बदले नकली सामान को फर्जी नाम पते पर डिलीवर कराकर एक–दो दिन बाद माल वापसी की शिकायत कराकर कम्पनी से पैसा रिफण्ड कर लेने के सम्बन्ध में थाना गोविन्दनगर पर मु0अ0सं0–46/2021 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर पूर्व में कार्यवाही की गयी है, उक्त क्रम में आज दिनॉकः 04.02.2021 को गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से धोखाधड़ी आन लाइन Amazon कम्पनी से मगाया हुआ सामान बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–राहुल निवासी मिर्जामण्डी थाना काल्पी जनपद जालौन।

2–प्रदीप निवासी कागजीपुरा थाना काल्पी जनपद जालौन।

3–अनुराग निवासी इन्दिरानगर काल्पी थाना काल्पी जनपद जालौन।

4–मंजीत निवासी गनेरागंज थाना काल्पी जनपद जालौन।

5–कपिल निवासी रावगंज थाना काल्पी जनपद जालौन।

बरामदगीः–

1–लगभग 07 लाख रूपये कीमत के धोखाधड़ी के विभिन्न कम्पनियों के 208 घरेलू उपकरण,

2–विभिन्न कम्पनियों के 07 एक्टिवेटेड सिम,

3–01 कार।

जनपद कन्नौज/थाना इन्दरगढ़

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूट के 04 हजार रूपये नगद,**
- **01 मोबाइल फोन, पासबुक,**
- **02 अवैध तमंचे 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,**
- **01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.02.2021 की रात्रि थाना इन्दरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पटेलनगर तिराहा से 03 अभियुक्तों 1–सत्येन्द्र 2–अवनीश 3–अमन को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 04 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, पासबुक, 02 अवैध तमंचे 315बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा दिनॉकः 03.11.2020 को थाना गुरसहायगंज क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना व दिनॉकः28.01. 2021 को थाना तिर्वा अन्तर्गत मोटर साइकिल चोरी की घटना तथा दिनॉकः 02.02.2021 को थाना इन्दरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुरसहायगंज, थाना तिर्वा व थाना इन्दरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :–</u>

1–सत्येन्द्र निवासी हनुमानगली कस्बा व थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

2–अवनीश निवासी छैना वाली गली कस्बा व थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

3–अमन निवासी कस्बा व थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

<u>बरामदगी:–</u>

1–लूट के 04 हजार रूपये नगद,

2– 01 मोबाइल फोन, पासबुक,

3–02 अवैध तमंचे 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,

4–01 चोरी की मोटर साइकिल।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना जानकीपुरम्</u>

- **01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 250 ग्राम अवैध मार्फीन आदि बरामद**

दिनांक 03–02–2021 को थाना जानकीपुरम् पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेंकिग के दौरान अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 250 ग्राम अवैध मार्फीन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में रंगदारी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम् पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त –:

1– राजू निवासी सेक्टर–03 थाना जानकीपुरम् कमिश्नरेट लखनऊ, हालपता भैसरी थाना टड़ियावा जनपद हरदोई।

बरामदगी

1– लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 250 ग्राम अवैध मार्फीन आदि।

जनपद मीरजापुर /थाना कोतवाली देहात

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,**
- **लगभग साढे तीन लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा,**
- **01 अर्टिगा कार ,**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 03.02.2021 की रात्रि थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करनपुर पहाड़ी के पास से 03 मादक पदार्थ तस्कर 1– विक्रम 2–राकेश 3–अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग साढ़े तीन लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 कार, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:–

1– विक्रम निवासी सुलेमसराय थाना धुमनगंज जनपद प्रयागराज।

2–राकेश निवासी सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

3–अमित निवासी वोर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी:–

1– लगभग साढे तीन लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा,

2– 01 कार ,

3–03 मोबाइल फोन।

<u>साइबर काइम : अभियुक्त योगेश कुमार उर्फ विदित पुत्र कुशलपाल नि0 प्लाट नं0 47 फेस–2 जानकी बिहार लाला मोहम्मदपुर रोड थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 27 वर्श को साइबर काइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ की टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाना।</u>

दिनांकः 06.11.2020 को वादिया श्रीमती वीना सागर पत्नी श्री रामसागर म0नं0 718, साईकृपा वर्फ खाना रोड सुरेन्द्र नगर जनपद अलीगढ़ द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर परिक्षेत्रीय साईबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ में मु0अ0स0 05/2020 धारा 420 भादवि व 66डी आई0टी0एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त अपराध के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुये विवेचना के मध्य प्रभारी निरीक्षक, साइबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त अभियोग की विवेचना से अभियुक्त योगेश कुमार उर्फ विदित पुत्र कुशलपाल नि0 प्लाट नं0 47 फेस–2 जानकी बिहार लाला मोहम्मदपुर रोड थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 27 वर्ष प्रकाश में आया, जिसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र करके साइबर ठगी का पैसे अपने आईसीआईसीआई के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कराकर और उसके तुरंत बाद एटीएम से निकाल कर साइबर ठगी को अंजाम देने के आधार पर अभियोग में धारा 120बी भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

दिनांकः 03.02.2021 को उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त योगेश कुमार उर्फ विदित पुत्र कुशलपाल नि0 प्लाट नं0 47 फेस–2 जानकी बिहार लाला मोहम्मदपुर रोड थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तारी हेतु साइबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ से गठित टीम द्वारा जनपद मेरठ के थाना कंकरखेडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u> योगेश कुमार उर्फ विदित पुत्र कुशलपाल नि0 प्लाट नं0 47 फेस–2 जानकी बिहार लाला मोहम्मदपुर रोड थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ। उम्र करीब –27 वर्ष।

अभियुक्त द्वारा बताये अनुसार अपराध करने का तरीकाः—

- वादिया से फोन काल के माध्य से क्रेडिट कार्ड को ओपन/बन्द कराने के बावत क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित जानकारी हासिल करना।
- उक्त जानकारी व ओ0टी0पी0 आदि पूंछकर वादिया के क्रेडिट कार्ड से 110,000/—रूपये अपने दो मोबीक्यूक पेमेंट वोलिटों में ट्रांस्फर करना।
- इन दोनों मोबीक्यूक पेमेंट वोलिटों से अपने साथियों के बैंक एकाउण्टों में रूपये आनॅलाइन ट्रांसफर करके और तुरंत एटीएम से पैसा निकाल लेते है।
- इस साइबर ठगी से प्राप्त पैसो को वह आपस में बांट लेते हैं।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरणः—

1— 01 अदद मोबाइल OPPO RENO 4 PRO

2— 1880/—रूपये नकद।

कमिश्नरेट लखनऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 10 लाख 52 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही)

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी दिलीप कुमार उर्फ दीपू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 10 लाख 52 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही की गयी।

———————